# राजस्थान सरकार
# नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.11(9)नविवि / 2020पार्ट जयपुर, दिनांकः– 12 JUN 2023

## आदेश

मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र शहर का नाम..................(भवन विनियम) 2020 के विनियम 15.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

"15.1 भूखण्ड पर भवन का निर्माण, भवन निर्माण स्वीकृति लेकर कार्य आरंभ कर निर्धारित अवधि (भूखण्ड के लीजडीड जारी होने के 07 वर्ष की अवधि) में स्वीकृति मानचित्र अनुसार अधिकतम भू–आच्छादित क्षेत्र का स्वतंत्र भूखण्डों में एक ईकाई निर्माण एवं अन्य भखण्डों में भूखण्ड के अधिकतम भू–आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का निर्माण किया जाना होगा। भूखण्ड पर एक इकाई अथवा भूखण्ड के अधिकतम भू–आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का निर्माण होने की स्थिति में पट्टे की निर्धारित निर्माण अवधि की शर्त का उल्लंघन नहीं माना जावेगा। रेरा रजिस्ट्रेशन होने वाली परियोजना में प्रथम चरण का 25 प्रतिशत निर्माण कार्य होने की स्थिति में शर्त की पालना मानी जायेगी।

परन्तु आंशिक अथवा पूर्ण भाग का पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृति मानचित्र अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने पर ही जारी किया जावेगा।"

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**(संचिता बिश्नोई)**
**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।

10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**